भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 518
04/12/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

खनिजों, तेल और प्राकृतिक गैस के लिए गहरे समुद्री क्षेत्रों में अन्वेषण

518. श्री ए. डी. सिंह :

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खनिजों, तेल और प्राकृतिक गैस के लिए गहरे समुद्री क्षेत्रों में अन्वेषण कर रही है या उसका समर्थन कर रही है;
(ख) यदि हाँ, तो ''डीप ओशन मिशन'' के अंतर्गत वर्तमान परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण (आईएसए) जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संबंधित सहयोग का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन गतिविधियों के लिए किसी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया है; और
(घ) देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उसके बाहर सतत और पर्यावरणीय दृष्टि से उत्तरदायी अन्वेषण और निष्कर्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हाँ।

(ख) डीप ओशन मिशन (डीओएम) के तहत, 'टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स फॉर डीप सी माइनिंग एंड क्रूड सबमर्सिबल्स" तथा "डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन" नामक दो वर्टिकल गहरे समुद्र में अन्वेषण संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के बाद गहरे समुद्र तल के खनिजों की खोज की जाती है। वर्तमान में, भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) के साथ तीन हस्ताक्षरित अनुबंध हैं, पहला अनुबंध 2002 में मध्य हिन्द महासागर बेसिन (CIOB) में ~75,000 वर्ग किमी के क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स (पीएमएन) की खोज के लिए किया गया था और दो अनुबंध, हिन्द महासागर में क्रमशः मध्य भारतीय रिज (सीआईआर) क्षेत्र और कार्ल्सबर्ग रिज में 10,000 वर्ग किमी के क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (पीएमएस) की खोज के लिए 2016 और 2025 में किया गया था।

(ग) अन्वेषण गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के अनुमोदित कार्य योजना के बाद की जा रही हैं। खनिज अन्वेषण क्षेत्रों पर समुद्र तल संसाधन आकलन और पर्यावरणीय अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ अनुबंध का एक आवश्यक घटक हैं। इसके लिए हिन्द महासागर के आवंटित अनुबंध क्षेत्र से जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, ओशनोग्राफिक और बायोलॉजिकल डेटा का संग्रह किया जाता है। गहरे समुद्र में पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से समझने के लिए जैव विविधता आकलन सहित विस्तृत पर्यावरणीय बेसलाइन अध्ययन किया जाता है।

(घ) खान मंत्रालय ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र से खनिजों की सतत खोज और निकासी सुनिश्चित करने के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (OAMDR) (अगस्त, 2023 में संशोधित) भारत के क्षेत्रीय जल, महाद्विपीय शेल्फ, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास और विनियमन का प्रावधान करता है। यह अधिनियम खनिज तेलों और हाइड्रोकार्बन को छोड़कर अपतटीय क्षेत्रों में सभी खनिजों पर लागू होता है। अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (OAMDR) के अधीन बहुत से नियम अधिसूचित है यथा, अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024, अपतट क्षेत्र खनिज (नीलामी) नियम, 2024, अपतट क्षेत्र संक्रिया संबंधी अधिकार नियम, 2024 और अपतट क्षेत्र खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2024। भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अतिरिक्त हिंद महासागर के अनुबंध वाले क्षेत्रों में समुद्र तल के खनिज अन्वेषण संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के विनियामक ढांचे के अनुरूप की जाती है।

*****